

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र०नि० ब्यूरो, झालावाड़ थाना :— प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र०नि०ब्यूरो, जयपुर वर्ष :- 2022
प्र०सू०रि० सं 73/2022 दिनांक 5/5/2022

2. (1) अधिनियम धाराएँ 7.7ए पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 व 120वी आईपीसी.....

(2) अधिनियम धाराएँ

(3) अधिनियम धाराएँ

(4) अन्य अधिनियम एवं धाराएँ

3. (क) घटना का दिन :— शुक्रवार दिनांक :— 04.03.2022

(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :— 03.03.2022 समय :— 8.00 ए.एम.

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 106 समय 8:10 P.M.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई— (लिखित/मौखिक) लिखित टाईप शुदा प्रार्थना पत्र

5. घटनास्थल का ब्यौरा :—

(क) थाने से दिशा एवं दूरी —चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 40 कि०मी० बजानिब पूर्व—दक्षिण दिशा बीट संख्या..... जुरामदेही सं.....

(ख) पता:- क्षेत्रीय वन अधिकारी बकानी वन मण्डल झालावाड़ का कार्यालय कक्ष

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....जिला

6. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला :—

(क) नाम :— श्री अलाददीन

(ख) पिता/पति का नाम :— स्व. श्री अजीज खां जाति मुसलमान

(ग) जन्म तिथि/उम्र :— 51 साल

(घ) राष्ट्रीयता — भारतीय

(ङ) पासपोर्ट संख्या..... जारी करने की तिथि..... जारी करने का स्थान

(च) व्यवसाय —

(छ) पता :— रीछवा थाना बकानी जिला झालावाड़।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :—

1. श्री मुरली मनोहर शर्मा पुत्र स्व. श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 59 वर्ष निवासी बड़बड़ थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल वनपाल अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय वन अधिकारी बकानी वन मण्डल झालावाड़ राज०

2. श्री जगदीश चन्द पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 56 वर्ष निवासी रटलाई थाना रटलाई जिला झालावाड़ राज० हाल वनपाल वन नाका रीछवा रेंज बकानी जिला झालावाड़ राज०

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :— कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य: — 5,000 रुपये

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :—

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 03.03.2022 को समय 08.00 ए.एम. पर परिवादी श्री अलाददीन पुत्र स्व० श्री अजीज खां उम्र 51 वर्ष जाति मुसलमान निवासी रीछवा थाना बकानी जिला झालावाड़ मो०नं० 9928099141 ने ब्यूरो कार्यालय में संवय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री अलाददीन के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र अपने विश्वासपात्र व्यक्ति से टाईप कराना बताया है जो अन्य किसी भी व्यक्ति से

इस सम्बंध में कोई जिक्र नहीं करेगा तथा गोपनीयता बरतेगा। परिवादी ने टाईप शुदा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी ने मजमून दरियाप्त पर बताया कि उसके स्वयं के नाम से लाल रंग का 575 डीआई महिन्द्रा कम्पनी का एक ट्रेक्टर जिसके नम्बर आरजे-17-आरए-1446 है। जिसको वह खेती-बाड़ी करने व घरेलू काम-काज में उपयोग में लाता है। दिनांक 24.02.2022 को वह अपने ट्रेक्टर में रीछवा के पेट्रोल पम्प के पास डीजल भराने के लिये गया था तथा जब पेट्रोल पम्प के अन्दर जाने लगा तो वहां पर खड़े श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर साहब बकानी व श्री जगदीश चन्द माली नाकादार वन नाका रीछवा ने ट्रेक्टर-ट्रोली को पेट्रोल पम्प के बाहर भी रुकवाकर साईड में खड़ा करा दिया तथा कहने लगे कि तू अभी-अभी अपनी ट्रोली में वन क्षेत्र की भूमि से एक ट्रोली पथर भरकर लाया है बता वह पथर कहां खाली करके आया है। इस पर मैंने कहां की मेरी ट्रोली देख लो खाली पड़ी है। मैं कोई वन विभाग की भूमि से पथर लेकर नहीं आया हूं और ना ही मैंने कहीं पर भी पथर खाली किये हैं। मेरे मना करते रहने के बाद भी रेन्जर साहब ने मुझसे कहा की तू झूठ बोलता है। चुपचाप ट्रेक्टर-ट्रोली को नाके पर ले चल। इस पर मैंने उनके कहने पर अपने ट्रेक्टर-ट्रोली को रीछवा वन नाका पर ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां पर रेन्जर साहब श्री मुरली मनोहर शर्मा जी ने मेरे ट्रेक्टर-ट्रोली को जब्त कर उसके कागजात बना दिये तथा मुझसे कहा कि तेरा ट्रेक्टर जब्त हो गया है। अब 51000 रुपये की रसीद कटाकर छुड़ा ले जाना। कल दिनांक 02.03.2022 को मैं दुबारा श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर साहब से उनके कार्यालय में बकानी जाकर मिला तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी फाईल एसीएफ साहब श्री राजीव कुमार शर्मा जी के कार्यालय में झालावाड़ भिजवा दी है। तू वहां जाकर मिल ले। इस पर मैं दिनांक 02.03.2022 को एसीएफ साहब श्री राजीव कुमार शर्मा जी के कार्यालय में झालावाड़ में जाकर उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि यदि रेन्जर साहब मुझे यहां आकर बोल देंगे तो मैं 51 की जगह 40 हजार रुपये की रसीद बना दूंगा परन्तु इससे कम नहीं बना सकता हूं। इस पर मैंने वापिस बकानी जाकर श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर साहब को यह बात बताई तो वह कहने लगे कि तूझे यदि तेरा ट्रेक्टर छुड़वाना है और पथर भरकर लाने-ले जाने हैं तो मुझे 5000 रुपये प्रति माह बन्धी के देने पड़ेंगे। उसके बाद तुम्हे कोई भी परेशान नहीं करेगा और न ही कोई तुम्हारा ट्रेक्टर पकड़ेगा। मैं रीछवा नाकादार को भी बोल दूंगा। मैं मेरे जायज काम के लिये श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर साहब को 5000 रुपये मासिक बन्धी के रूप में रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा उसको रिश्वत लेते हुए उन्हे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है तथा ना ही कोई पुराना लेन-देन अथवा उधारी चुकता करना शेष है। परिवादी के प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाप्त से मामला (संशोधित) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 की परिधि में आने पर दिनांक 03.03.2022 समय 08.40 एम पर ब्यूरो कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97 से मालखाना से निकलवाकर चैक करवाकर परिवादी श्री अलाददीन को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु रुबरु गवाहान चालू बन्द करने की विधिवत प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भली-भांति समझाया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 03.03.2022 समय 09.00 एम पर परिवादी श्री अलाददीन के बताये अनुसार आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर का उसके गांव बड़बड़ होने की जानकारी दिये जाने पर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर हमराह निगरानी हेतु श्री सूरजमल कानि. 521 के साथ दोनों को अपनी-अपनी मोटर साइकिलों से बजानिब गांव बड़बड़ के लिये रवाना किया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 03.03.2022 समय 11.15 एम पर परिवादी श्री अलाददीन व साथ में निगरानी हेतु भेजे गये ब्यूरो कार्यालय के श्री सूरजमल कानि. 521 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री अलाददीन ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुछताछ की गई तो, परिवादी ने बताया की मैंने आपके निर्देशानुसार श्री सूरजमल जी के साथ गांव बड़बड़ पहुंचा। जहां पर कुछ दुरी पहले ही मैने रोड पर श्री सूरजमल जी को रुकने व इन्तजार करने का बताकर मैं गांव बड़बड़ में स्थित श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर के घर पर चला गया था जहां पर श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर मुझे मौजूद मिले जिनसे मैंने उनके घर पर मेरी जब्तशुदा ट्रेक्टर-ट्रोली छुड़वाने व मासिक बन्धी देने के सम्बंध में वार्तालाप की थी। वार्तालाप करने के दौरान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर ने मुझसे मासिक बन्धी के 5000 रुपये की मांग की है तथा ट्रेक्टर-ट्रोली छुड़वाने के लिये 40 हजार रुपये की रसीद काटने की बातचीत की है। आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर से की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप को मेरे द्वारा आपको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद मे श्री सूरजमल जी के साथ-साथ अपनी-अपनी मोटर साइकिलों से आपके कार्यालय में आ गये हैं। परिवादी श्री अलाददीन द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97 को देकर सुरक्षित मालखाना रखवाया गया। आईन्दा रुबरु स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप को सुना जाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। परिवादी श्री अलाददीन ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की आरोपी आज ही रिश्वत राशि मंगा रहा है परन्तु मेरे पास आज रुपये नहीं हैं। वह आज रिश्वत राशि 5000 रुपये की

व्यवस्था कर आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर के बारे में पता कर कल दिनांक 04.03.2022 को दोपहर पूर्व आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। परिवादी श्री अलाददीन को कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने एवं आरोपी की लोकेशन पता कर अविलम्ब रिश्वत राशि के साथ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रुखसत किया गया। दिनांक 03.03.2022 समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री अलाददीन ने अवगत कराया है कि कल दिनांक 04.03.2022 को वह दोपहर पूर्व रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000 रुपये की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जायेगा। इस पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दिनांक 04.03.2022 को प्रातः 10.00 बजे दो सरकारी स्वतंत्र गवाह भिजवाने बाबत् कार्यालय पत्रांक 152 दिनांक 03.03.2022 जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ के नाम मुर्तिब कर श्री शिवराज कानि. 166 को देकर भेजा गया। दिनांक 03.03.2022 समय 02.25 पीएम पर श्री शिवराज कानि. नं० 166 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ के पत्रांक 678 दिनांक 03.03.2022 लाकर पेश किया गया। पत्र का अवलोकन किया गया तो गोपनीय कार्यवाही हेतु श्री महिपाल सिंह राणावत पुत्र श्री अमर सिंह राणावत जाति राजपूत उम्र 49 वर्ष निवासी 74- वृन्दावन विहार, सेक्टर नम्बर-3 उदयपुर हाल सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल झालावाड़ मो०नं० 9460436490 तथा श्री अजय रावल पुत्र श्री सीताराम रावल जाति रावल उम्र 38 वर्ष निवासी घाटोली पुलिस थाना घाटोली जिला झालावाड़ हाल जमादार द्वितीय क्षेणी झालावाड़ मो०नं० 9460219314 को दिनांक 04.03.2022 को प्रातः 10.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में गोपनीय कार्यवाही हेतु पाबन्द किया गया है, पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 04.03.2022 समय 9:30 एम पर परिवादी श्री अलाददीन ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 5,000 रुपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपी रेन्जर श्री मुरली मनोहर शर्मा से मेरी वार्तालाप हुई है। उसने बताया कि मैं आज दिन भर मेरे रेन्ज कार्यालय बकानी में ही रहूंगा, तुम कभी भी मेरे रेन्ज कार्यालय में आ जाना। दिनांक 04.03.2022 समय 10.00 एम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री महिपाल सिंह राणावत सहायक आबकारी अधिकारी व श्री अजय रावल जमादार द्वितीय क्षेणी कार्यालय आबकारी निरोधक दल झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया। परिवादी श्री अलाददीन से मिलवाकर आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 03.03.2022 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया टाईपशुदा प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से पूछताछ कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने—अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रैप कार्यवाही में सहयोग हेतु दोनों स्वतंत्र गवाहान से सहमति प्राप्त की गई। दिनांक 04.03.2022 समय 10:15 एम पर परिवादी श्री अलाददीन व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री महिपाल सिंह राणावत व श्री अजय रावल की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं० 97 से मालखाना मेरे हुए डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 03.03.2022 को परिवादी श्री अलाददीन व आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर के मध्य हुई सत्यापन वार्ता में परिवादी के ट्रेक्टर को छोड़ने के पश्चात् ट्रैक्टर को नहीं पकड़ने के लिये मासिक बन्धी के 5,000 रुपये रिश्वत की मांग करना सत्यापन वार्ता में पुष्टि होना पाया गया है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 03.03.2022 को हुई वार्ता को श्री सूरजमल कानि. नं. 521 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री अलाददीन को वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री अलाददीन ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा रेन्जर की होना बताया। वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 04.03.2022 समय 12:15 पीएम पर परिवादी श्री अलाददीन ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री महिपाल सिंह राणावत व श्री अजय रावल के समक्ष अपने पास से 5,000 रुपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रुपये के कुल 10 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द पेशकशी में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतंत्र गवाहान को दिखा कर निर्देश देकर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई गई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट 5000/-रुपये सुपुर्द कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। रिश्वत राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटों पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। स्वतंत्र गवाहान श्री महिपाल सिंह राणावत से परिवादी श्री अलाददीन की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं० 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि 5000 रुपये के नोटों को परिवादी श्री अलाददीन की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो

दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा छुपाता है का भी ध्यान रखें तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानिंग से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानिंग के दाहिने हाथ की अंगुलियों को ढुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टान्त देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफथलीन पाउडर युक्त नोटों के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानिंग के द्वारा ही दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गिलास में मौजूद गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दोनों गिलासों, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानिंग एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों ने अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। आरोपी से रिश्वती लेन देने के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु मालखाना से निकलवाया जाकर डिजिटल ट्रेप रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री अलाददीन को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती नोट एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर आपसी प्रक्रिया तैयार कर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 04.03.2022 समय 12:50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री महिपाल सिंह राणावत व श्री अजय रावल तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री सूरजमल कानि. 521, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री शिवराज कानि. 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब रिछवा-बकानी की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रखाना हुआ। परिवादी श्री अलाददीन को उसकी स्वयं के प्राईवेट वाहन से ट्रेप पार्टी के वाहनों के आगे-आगे रखाना किया। तथा नोटों पर पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। दिनांक 04.03.2022 समय 01:40 पीएम पर परिवादी श्री अलाददीन अपने स्वयं के प्राईवेट वाहन से रखाना शुदा क्षैत्रीय वन अधिकारी बकानी वन मण्डल झालावाड़ के कार्यालय से कुछ दूरी पर बकानी से माचलपुर रोड़ पर रुका तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पास मय वाहनों के पहुँचा। परिवादी स्वयं के वाहन से उत्तरकर मेरे पास आया। इस पर परिवादी को हिदायत देकर आरोपी मुरली मनोहर शर्मा के पास कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी बकानी वन मण्डल झालावाड़ के लिए मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व रिश्वत राशि के स्वयं के वाहन से रखाना किया। तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के सरकारी बोलेरो जीप व प्राईवेट वाहन में ही वन विभाग कार्यालय के बाहर परिवादी के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ एवं ट्रेप जाल बिछाया। दिनांक 04.03.2022 समय 01:50 पीएम पर परिवादी श्री अलाददीन द्वारा कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी बकानी वन मण्डल झालावाड़ के मैन गेट के सामने से बकानी तहसील कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क की पुलिया पर खड़े सरकारी वाहन को देखकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी तत्काल मेरे पीछे-पीछे बाउड्री के अन्दर खड़े अन्य प्राईवेट वाहन को नजदीक आने का ईशारा कर अपना सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन रोककर मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को एकत्रित कर तत्काल हमराह लेकर परिवादी श्री अलाददीन के पास पहुँचा तथा परिवादी से पूर्व मेरे रिश्वत लेन-देन के दौरान आरोपी से वार्तालाप करने हेतु सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे मे लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री अलाददीन से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह/स्थान के बारे मे पूछा गया तो परिवादी ने पूछने पर रुबरु स्वतंत्र गवाहान बताया कि, आरोपी ने क्षैत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय कक्ष में मुझसे अभी-अभी रिश्वत राशि लेन-देन के संबंध मे वार्तालाप कर 5,000/-रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई हल्के नीले

रंग की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रख ली है तथा आरोपी अपने कक्ष में बैठकर राजकार्य कर रहा है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी श्री अलाददीन के पीछे-पीछे मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय कक्ष में पहुंचा, तो वहां कुर्सी पर बैठे सफेद शर्ट पहने हुए सांवले से व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया की साहब यही, श्री मुरली मनोहर शर्मा रेंजर साहब है। जिन्होने अभी-अभी कुछ देर पहले मुझसे दिनांक 24.02.2022 को पेट्रोल पम्प रीछवा पर ट्रेक्टर ट्रोली में वन भूमि से पत्थर भरकर लाकर खाली करने का बताकर मेरा ट्रेक्टर ट्रोली जबरदस्ती जब्त कर मेरे ट्रेक्टर के ड्राईवर श्री रामबाबू गूर्जर के खिलाफ मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया था तथा मेरे ट्रेक्टर का 41,000/-रुपये की जुर्माना राशि का प्रकरण-बनाकर रसीद कटवाने के पश्चात् मेरे ट्रेक्टर को नहीं पकड़ने व परेशान नहीं करने की एवज में 5,000/-रुपये की मासिक बन्धी रिश्वत के रूप में मांग कर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई हल्के नीले रंग की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रख ली है। परिवादी श्री अलाददीन ने बताया कि रिश्वत राशि प्राप्त करने के समय श्री जगदीश चन्द माली नाकादार वन नाका रीछवा भी रेंजर साहब के कक्ष में मौजूद था तथा उसने भी मुझसे कहां था कि मेरे 3,000/-रुपये भी देकर जाओं। दिनांक 24.02.2022 को ट्रेक्टर ट्रोली को पेट्रोल पम्प रीछवा से ले जाते समय भी रेंजर साहब के साथ श्री जगदीशचन्द माली नाकादार वन नाका रीछवा साथ में था। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी को ट्रेप पार्टी व हमराहीयान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह अत्यन्त घबरा गया जिसे तसल्ली देकर पानी पिलाकर उसका नाम-पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री मुरली मनोहर शर्मा पुत्र स्व. श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 59 वर्ष निवासी बड़बड़ थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल वनपाल अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय वन अधिकारी बकानी वन मण्डल झालावाड़ राज0 होना बताया। तत्पश्चात् आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा से परिवादी श्री अलाददीन से ली गई रिश्वत राशि 5,000 रुपये बाबत् पूछा गया की उन्होने यह रिश्वत राशि क्यों व किस कार्य की एवज में ली है। इस पर आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा रेंजर ने रुबरु गवाहान बताया की श्री अलाददीन मुसलमान निवासी रीछवा-का लाल रंग का 575 डीआई महिन्द्रा ट्रेक्टर आरजे 17 आरए 1446 दिनांक 24.02.2022 को वन भूमि से पत्थर भरकर लाया था। इसकी सूचना मिलने पर हमें पेट्रोल पम्प रीछवा पर ट्रेक्टर ट्रोली होने की जानकारी मिली थी। हालांकि ट्रोली में उस समय पत्थर नहीं भरे थे। उस समय मेरे साथ श्री जगदीश चन्द माली नाकादार भी था। ट्रेक्टर ट्रोली पेट्रोल पम्प रीछवा पर खड़ी मिली जहां पर ट्रेक्टर का मालिक श्री अलाददीन व उसका ड्राईवर श्री रामबाबू गूर्जर भी था। इस पर हमने उसका ट्रेक्टर ट्रोली वन नाका रीछवा लाकर जब्त कर प्रकरण संख्या 77-10 दिनांक 24.02.2022 विरुद्ध श्री रामबाबू पुत्र श्री मोहनलाल गूर्जर निवासी रीछवा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 41,42 राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत दर्ज कर श्री रामबाबू गूर्जर ड्राईवर को गिरफ्तार किया था। उसके पश्चात् उसकी पत्रावली प्रकरण के निस्तारण हेतु 41,000/- जुर्माना राशि बनाकर दिनांक 25.02.2022 को श्रीमान एसीएफ साहब झालावाड़ को भिजवा दी थी। जहां से पत्रावली एसीएफ साहब व डीसीएफ साहब के आदेश होने के बाद दिनांक 03.03.2022 को ही क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में मुझे प्राप्त हुई थी। मैंने श्री अलाददीन से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है वह अपने ट्रेक्टर में वन भूमि से अवैध खनन कर पत्थर भरकर लाने की एवज में स्वैच्छा से 5,000/-रुपये प्रतिमाह देना चाहता है। इसलिए मैंने मासिक बन्धी मानकर यह रुपये रख लिये है। गलती हो गयी मुझे माफ करें। आरोपी के वर्जन व स्पष्टीकरण का परिवादी श्री अलाददीन ने खण्डन करते हुए कहा कि साहब श्री मुरली मनोहर शर्मा रेंजर साहब झूंठ बोल रहे हैं। यह वन भूमि से अवैध खनन कार्य करवाते हैं तथा ऐसे अवैध खनन कर पत्थर भरकर लाने वाले ट्रेक्टर ट्रोलियों से अवैध रूप से रिश्वत राशि वसूल करते हैं। जो इन्हें मासिक बन्धी नहीं देते हैं उनका भारी राशि का जुर्माना बनाने व उनका ट्रेक्टर ट्रोली जब्त करने की धमकी देते हैं तथा बेवजह तंग परेशान करते हैं। दिनांक 24.02.2022 को पेट्रोल पम्प रीछवा पर ट्रेक्टर ट्रोली में वन भूमि से पत्थर भरकर लाकर खाली करने का बताकर मेरा ट्रेक्टर ट्रोली जबरदस्ती जब्त कर मेरे ट्रेक्टर के ड्राईवर श्री रामबाबू गूर्जर के खिलाफ मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया था तथा मैंने इनसे सम्पर्क किया तो इन्होने मेरे ट्रेक्टर का 41,000/-रुपये की जुर्माना राशि का प्रकरण बनाकर रसीद कटवाने के पश्चात् मेरे ट्रेक्टर को नहीं पकड़ने व परेशान नहीं करने की एवज में 5,000/-रुपये की मासिक बन्धी की मांग की थी। जिस पर दिनांक 03.03.2022 को मैंने आपके कार्यालय में इनको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने की रिपोर्ट दी थी तथा उसके बाद उसी दिन इनके गांव बड़बड़ श्री सूरजमल जी के साथ मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर भेजने पर भी मैंने इनके द्वारा की गई रिश्वत मांग की रिकॉर्डिंग की थी। उसके बाद आज इन्होने मुझे रिश्वत राशि लेकर रेंज कार्यालय बकानी बुलाया था। जहां पर आपकी टीम द्वारा इनको 5,000/-रुपये की रिश्वत-राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। फिर आरोपी के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात् एक कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा के दाहिने हाथ की उंगलियों व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा मोके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का आरएच-1, आरएच-2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास मे

तैयार घोल मे आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा मौके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर गवाह श्री महिपाल सिंह राणावत को आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा की पहनी हुयी हल्की नीले रंग की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब की तलाशी लेने के निर्देश दिये जाने पर उन्होने तलाशी के दौरान 500-500 रुपये के नोटो की थ्रेई पेश की। जिस पर उनकी गिनती करने पर 500-500 रुपये के कुल 10 नोट कुल राशि 5,000 रुपये होना पाया गया। तत्पश्चात अन्य गवाह श्री अजय रावल को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त नोटो के मिलान करने के निर्देश करने पर दोनों गवाहान ने बरामद नोटो के नम्बर फर्द सुपुर्दगी मे अंकित नोटो का मिलान कर हूबहू नम्बरी रिश्वती राशि वाले 5,000 रुपये होना बताने पर नोटो के नम्बर फर्द मे अंकित किये गये जो निम्न प्रकार हैं:-

1	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	9FG 550378
2	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	9FG 550381
3	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	0QM 844651
4	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	3DB 889006
5	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	7RB 125198
6	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	0GG 610191
7	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	9FG 550380
8	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	9FG 550383
9	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	1FH 851284
10	एक नोट 500/-रुपये का नम्बर	2FA 704157

उक्त बरामद नोटो को कागज मे मौके पर ही सील-मोहर चिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त बरामदशुदा नोटो के अलावा आरोपी की हल्के नीले रंग की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में 6800रुपये मिले जो आरोपी के बताये अनुसार क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित आये उनके पुत्र श्री सतीश कुमार शर्मा को लौटाये गये। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान, दस्तावेज, नकदी व अन्य कोई बहुमुल्य वस्तु नहीं मिली, जिसे ब्यूरो द्वारा कब्जे मे लिया जावे। तदुपरान्त आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा की पहनी हुयी हल्की नीले रंग की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब की धुलाई हेतु एक कांच के साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा को उसके क्वार्टर से अन्य पेन्ट मंगवाकर पहनवाकर रिश्वत राशि रखी हुई, पहनी हुयी हल्के नीले रंग की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उल्टवाकर उक्त घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा भरकर मौके पर ही सील-मोहर चिट कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पेन्ट की जैब की धुलाई के पश्चात पंखे की हवा मे सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कपड़े की थेली मे रखकर सील चिट करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया तथा मार्क पी अंकित किया गया। पूर्व में परिवादी श्री अलाददीन से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया जा चुका है, जिसे ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर से सूनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता तैयार की जावेगी। परिवादी श्री अलाददीन के पेण्डिंग कार्य सम्बद्धी पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति ली जाकर शामिल पत्रावली की गयी। परिवादी श्री अलाददीन ने रिश्वत लेन-देन वार्तालाप के दौरान क्षैत्रीय वन अधिकारी के कक्ष में तत्समय उपस्थित श्री जगदीश चन्द माली नाकादार वन नाका रीछवा द्वारा भी अपने लिए 3,000/-रुपये रिश्वत राशि मांगने के सम्बंध में बताया है। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 04.03.2022 समय 04:30 पीएम समय दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अलाददीन के बताये अनुसार घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा द्वारा प्राप्त की गयी रिश्वत राशि 5,000रुपये बरामदगी घटनास्थल क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय कक्ष बकानी का फर्द नकशा मौका निरीक्षण घटनास्थल मूर्तिब किया गया। दिनांक 04.03.2022 समय 04:45 पीएम पर आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा पुत्र स्व. श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 59 वर्ष निवासी बड़बड़ थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल वनपाल अतिरिक्त प्रभार क्षैत्रीय वन अधिकारी बकानी वन मण्डल झालावाड़ राज0 की जामा तलाशी गवाह श्री महिपाल सिंह राणावत से लिवायी तो आरोपी के पास रिश्वत राशि 5,000रुपये के अलावा 6800रुपये नकदी मिली जिसके बारे में आरोपी

से पूछा तो स्वयं के होना बताया इस पर रुबरु गवाहान इसके पुत्र श्री सतीश कुमार शर्मा को सुपुर्द किये गये। रुबरु गवाहन श्री महिपाल सिंह राणावत एवं श्री अजय रावल के समक्ष आरोपी को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा की गिरफ्तारी की सूचना उसके पुत्र श्री सतीश कुमार शर्मा को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 04.03.2022 समय 05:00 पीएम पर आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा पुत्र स्व. श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 59 वर्ष निवासी बड़बड़ थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल वनपाल अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय वन अधिकारी बकानी वन मण्डल झालावाड़ राज0 को स्वतंत्र गवाहन श्री महिपाल सिंह राणावत एवं श्री अजय रावल के समक्ष, दिनांक 03.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व आज दिनांक 04. 03.2022 को बरवक्त रिश्वत लेन देन वार्ता जिसे डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया है, उक्त आवाज का परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया। जिस पर आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का परीक्षण नहीं करवाना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 04.03.2022 समय 05:15 पीएम पर कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी का कक्ष व अटेच दुसरा कक्ष जिसको आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा आवास के रूप में काम लेता है उक्त स्थान की खाना तलाशी दोनों स्वतंत्र गवाहान व आरोपी की मौजूदगी में ली गई। किसी भी प्रकार का कोई आईटम रिकॉर्ड इत्यादी कब्जे एसीबी नहीं लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द खाना तलाशी मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 04.03.2022 समय 05:40 पीएम पर सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा वनपाल व डिटेन शुदा श्री जगदीशचन्द माली वनपाल को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स व रिश्वत राशि 5,000रुपये मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ। तथा परिवादी को भी उसके स्वयं के वाहन से कार्यालय में पहुंचने के निर्देश दिये गये। दिनांक 04.03.2022 समय 06:30 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा व डिटेन शुदा श्री जगदीशचन्द माली वनपाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो स्टाफ के साथ लाये अपने—अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुंचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दिनांक 04.03.2022 समय 06:40 पीएम पर परिवादी श्री अलाददीन एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 04.03.2022 को बरवक्त रिश्वत लेन—देन के समय आरोपी एवं परिवादी के बीच हुई वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सेव थी उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर में लिवाकर सेव कर उक्त वार्ता की जरिये कम्प्यूटर श्री सूरजमल कानि. को निर्देश देकर, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता मूर्तिब करवाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 04.03.2022 समय 09:40 पीएम पर डिटेन शुदा श्री जगदीश चन्द पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 56 वर्ष निवासी रटलाई थाना रटलाई जिला झालावाड़ राज0 हाल वनपाल वन नाका रीछवा रेंज बकानी जिला झालावाड़ से पूछताछ की गई तो बताया कि मैं वर्ष 2017 से वनपाल के पद पर वन नाका रीछवा पर तैनात हूँ। दिनांक 24.02.2022 को श्री मुरली मनोहर शर्मा वनपाल् अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय वन अधिकारी बकानी मेरे कार्यालय वन नाका रीछवा पर आये थे। श्री छगन गूर्जर जिनका देव दरबार फिलिंग स्टेशन के नाम से रीछवा में बकानी रोड़ पर पेट्रोल पम्प है। उन्होंने श्री मुरली मनोहर शर्मा रेंजर साहब को मोबाईल पर बताया कि जंगल से ट्रेक्टर ट्रोली पत्थर भरकर लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर मैं, रेंजर साहब, श्री भैरूसिंह वन रक्षक तथा श्री बाबूलाल कारपेन्टर वनपाल चारों रेंजर साहब की सरकारी गाड़ी से पेट्रोल पम्प पर पहुंचे तो वहां पर श्री अलाददीन मुसलमान निवासी रीछवा का ट्रेक्टर लाल रंग का 575 डीआई महिन्द्रा आरजे 17 आरए 1446 जिसका ड्राईवर श्री रामबाबू गूर्जर था, मिला। मैं इस ट्रेक्टर को इसलिए पहचानता हूँ कि इसको पहले भी मैंने पकड़ा था। हम लोग पहुंचे तब ट्रेक्टर ट्रोली खाली हो गयी थी। ट्रोली में पत्थर नहीं थे। इस पर श्री मुरली मनोहर शर्मा रेंजर साहब ने आदेश दिया कि इस ट्रेक्टर ट्रोली को पकड़कर वन नाका पर ले चलो इस पर हम सभी श्री अलाददीन के ट्रेक्टर ट्रोली को उसके ड्राईवर श्री रामबाबू गूर्जर से चलवाकर वन नाका रीछवा ले जाकर खड़ा करा दिया। रेंजर साहब के आदेश से ट्रेक्टर ट्रोली को जब्त कर श्री रामबाबू गूर्जर के विरुद्ध प्रकरण संख्या 77-10 दिनांक 24.02.2022 अन्तर्गत धारा 41,42 राजस्थान वन अधिनियम 1953 दर्ज कर मैंने प्रारम्भिक रिपोर्ट वन अपराध, मौका पंचनामा,

नजरी नक्शा, फर्द गिरफ्तारी श्री रामबाबू गूर्जर, बयान फॉर्म बनाया था। उसके बाद श्री रामबाबू गूर्जर की जमानत श्री अलाददीन द्वारा दिये जाने पर दिनांक 24.02.2022 को ही जमानत मुचलके पर छोड़ दिया था। मेरे द्वारा ड्राईवर श्री रामबाबू गूर्जर का ड्राईविंग लाईसेंस व आधार कार्ड श्री अलाददीन व श्री रामबाबू गूर्जर की फोटोप्रति ली थी। इसके अलावा ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रमाण की फोटोप्रति आदि के साथ फायल तैयार कर रेंजर साहब को भेजता हूं। परन्तु इस पत्रावली में रेंजर साहब को पत्रावली भेजने सम्बंधी कोई पत्र नहीं लगा हुआ है। मैंने श्री अलाददीन व श्री रामबाबू गूर्जर से केस में जमानत मुचलका भरने के एवज में कोई रूपये नहीं मांगे थे और नहीं लिये थे। अगर रेंजर साहब को दिये होंगे तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आज दिनांक 04.03.2022 को श्री अलाददीन द्वारा श्री मुरली मनोहर शर्मा रेंजर साहब को उनके कक्ष में दी गयी रिश्वत राशि के समय मैं भी उनके कक्ष में ही उस समय मौजूद था। श्री अलाददीन द्वारा श्री मुरली मनोहर शर्मा रेंजर साहब को रिश्वत के पैसे देने के बाद मैंने भी अलाददीन से कहां था कि मेरे हिस्से के पैसे मुझे देना। इस पर श्री अलाददीन ने कहा था कि तुमको सोमवार को दे दूंगा। तुम्हारा खर्च पानी का पैसा सोमवार को मिल जाएगा। श्री अलाददीन मुझे 3,000/-रूपये देना चाह रहा था, लेकिन मैंने उससे 7,000/-रूपये मांगे थे। यदि यह सारी बाते श्री अलाददीन ने रिकॉर्ड कर ली हो तो मुझे इस सम्बंध में कोई जानकारी नहीं है। साहब मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ करो। मैं गरीब आदमी हूं। आयन्दा इस तरह की गलती नहीं करूंगा। और ना ही किसी का बेवजह ट्रेक्टर ट्रोली जब्त कर उसका जुर्माना रसीद काटुंगा। मैंने सोचा की मैं जुर्माना रसीद काटता हूं। इसलिए अलाददीन मुझे भी खर्च पानी के रूपये देगा। इसलिए मैंने मांग लिये थे। इस पर दिनांक 04.03.2022 समय 10:15 पीएम पर आरोपी श्री जगदीश चन्द्र पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 56 वर्ष निवासी रटलाई थाना रटलाई जिला झालावाड़ राज0 हाल वनपाल वन नाका रीछवा रेंज बकानी जिला झालावाड़ राज0 को आज दिनांक 04.03.2022 को आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा रेंजर बकानी के विरुद्ध रेंज कार्यालय बकानी में की गयी ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री जगदीशचन्द्र माली का रेंजर के कक्ष में मौजूद होना तथा परिवादी श्री अलाददीन से रिश्वत लेन-देन वार्तालाप के दौरान परिवादी श्री अलाददीन से रसीद काटने व अपने खर्च पानी तथा अपने हिस्से की 7,000रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा आरोपी श्री जगदीश चन्द्र माली से ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत लेन-देन वार्तालाप के दौरान अपने हिस्से की रिश्वत राशि मांगने बाबत की गयी गहन पूछताछ तथा रुबरु स्वतंत्र गवाहान आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा व परिवादी श्री अलाददीन के मध्य रिश्वत लेन-देन वार्तालाप की ट्रांसक्रिप्ट में आरोपी श्री जगदीशचन्द्र माली द्वारा पूछताछ के दौरान बताये गये उक्त तथ्यों की पुष्टि होना एवं रिश्वत लेन-देन में सलिलता पाये जाने की दशा में आरोपी श्री जगदीशचन्द्र माली वनपाल वन नाका रीछवा की जामा तलाशी गवाह श्री महिपाल सिंह राणावत से लिवायी तो श्री जगदीशचन्द्र माली के पास पहने हुये कपड़े के अलावा कुछ नहीं मिला। रुबरु गवाहन श्री महिपाल सिंह राणावत एवं श्री अजय रावल के समक्ष आरोपी को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री जगदीशचन्द्र माली की गिरफ्तारी की सूचना उनके चाहे अनुसार ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये उसके पुत्र श्री भूपेन्द्र कुमार को दी गयी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 04.03.2022 समय 10:30 पीएम पर आरोपी श्री जगदीश चन्द्र पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 56 वर्ष निवासी रटलाई थाना रटलाई जिला झालावाड़ राज0 हाल वनपाल वन नाका रीछवा रेंज बकानी जिला झालावाड़ राज0 को स्वतंत्र गवाहन श्री महिपाल सिंह राणावत एवं श्री अजय रावल के समक्ष, आज दिनांक 04.03.2022 को बरवक्त रिश्वत लेन देन वार्ता जिसे डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया है, उक्त आवाज का परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया। जिस पर आरोपी श्री जगदीशचन्द्र माली ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि “ मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से परीक्षण नहीं करवाना चाहता हूं।” अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 15.02.2022 समय 10:35 पीएम पर आरोपीगण श्री मुरली मनोहर शर्मा व श्री जगदीशचन्द्र माली को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जरिये श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 व श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 के साथ जरिये सरकारी बोलेरो वाहन से भिजवाया गया। दिनांक 04.03.2022 समय 10:45 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.03.2022 जो आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा वनपाल अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय वन अधिकारी बकानी व परिवादी श्री अलाददीन के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 04.03.2022 को समय 10:15

एम पर तैयार की गई थी व दिनांक 04.03.2022 को बरवक्त हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जो आरोपीगण श्री मुरली मनोहर शर्मा वनपाल अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय वन अधिकारी बकानी व श्री जगदीशचन्द माली वनपाल नाका रीछवा एवं परिवादी श्री अलाददीन के मध्य आपस में वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 04.03.2022 को समय 06.40 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ता कार्यालय कम्प्यूटर में सेव थी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सूरजमल कानिनो नं 521 को निर्देशित कर उक्त दोनों वार्ताओं की जरिये कम्प्यूटर पांच सीड़ी डब करवाई गई, जिसमें दो सीड़ी आरोपीयों के लिये, एक सीड़ी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीड़ी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक सीड़ी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जिसकी फर्द डिबिंग सीड़ी तैयार करवाकर सीड़ी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 04.03.2022 समय 11:00 पीएम पर परिवादी श्री अलाददीन एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री महिपाल सिंह राणावत व श्री अजय रावल को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात रुखसत किया गया। दिनांक 04.03.2022 समय 11:20 पीएम पर आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा व श्री जगदीशचन्द माली को वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द कर श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 व श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 कार्यालय में हाजिर आये।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री अलाददीन पुत्र स्व० श्री अजीज खां जम्मि मुसलमान उम्र 51 वर्ष निवासी रीछवा थाना बकानी जिला झालावाड़ (राज०) से श्री मुरली मनोहर शर्मा पुत्र स्व. श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 59 वर्ष निवासी बड़बड़ थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल वनपाल अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय वन अधिकारी बकानी वन मण्डल झालावाड़ राज० द्वारा दिनांक 24.02.2022 को परिवादी श्री अलाददीन निवासी रीछवा के खाली ट्रेक्टर ट्रोली को पेट्रोल पम्प रीछवा से वन भूमि से पथर भरकर लाकर खाली करने का कहना बताकर वन नाका रीछवा ले जाकर जब्त करना तथा परिवादी के ट्रेक्टर ड्राईवर श्री रामबाबू गूर्जर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार करना तथा 41,000/-रुपये की जुर्माना राशि का प्रकरण बनाकर एसीएफ कार्यालय झालावाड़ भिजवाना तथा परिवादी श्री अलाददीन से ट्रेक्टर को नहीं पकड़ने व तंग परेशान नहीं करने की एवज में 5,000/-रुपये मासिक बन्धी रिश्वत के रूप में मांग करना पाया गया जो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.03.2022 से साबित है। जिसके क्रम में दिनांक 04.03.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा को 5,000रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व बायें हाथ का धोवन का रंग मटमेला तथा रिश्वत राशि 5,000रुपये आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद की गयी जेब का धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ तथा डिटेन शुदा श्री जगदीश चन्द पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 56 वर्ष निवासी रटलाई थाना रटलाई जिला झालावाड़ राज० हाल वनपाल वन नाका रीछवा रेंज बकानी जिला झालावाड़ को दिनांक 04.03.2022 को आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा रेंजर बकानी के विरुद्ध रेंज कार्यालय बकानी में की गयी ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री जगदीशचन्द माली का रेंजर के कक्ष में मौजूद होना तथा परिवादी श्री अलाददीन से रिश्वत लेन-देन वार्तालाप के दौरान परिवादी श्री अलाददीन से रसीद काटने व अपने खर्च पानी तथा अपने हिस्से की 7,000रुपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा आरोपी श्री जगदीश चन्द माली से ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत लेन-देन वार्तालाप के दौरान अपने हिस्से की रिश्वत राशि मांगने बाबत् की गयी गहन पूछताछ तथा रुबरु स्वतंत्र गवाहान आरोपी श्री मुरली मनोहर शर्मा व परिवादी श्री अलाददीन के मध्य रिश्वत लेन-देन वार्तालाप की ट्रांसक्रिप्ट में आरोपी श्री जगदीशचन्द माली द्वारा पूछताछ के दौरान बताये गये उक्त तथ्यों की पुष्टि होना एवं रिश्वत लेन-देन में सलिलता पाये जाने पर आरोपी श्री जगदीशचन्द माली को गिरफ्तार किया गया। परिवादी द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व बरवक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तथा फर्द बरामदगी रिश्वत राशि 5,000रुपये एवं दोनों हाथ धुलाई व रिश्वत राशि रखी पेंट की जेब के धुलाई के धोवन व आरोपी श्री जगदीशचन्द माली के पूछताछ नोट से साबित पाया गया है। अतः आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7.7ए पी.सी. एकट (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी आईपीसी के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

इस प्रकार उक्त आरोपीगण श्री मुरली मनोहर शर्मा पुत्र स्व. श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 59 वर्ष निवासी बड़बड़ थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल वनपाल अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय वन


अधिकारी बकानी वन मण्डल झालावाड़ राज0 तथा श्री जगदीश चन्द पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 56 वर्ष निवासी रटलाई थाना रटलाई जिला झालावाड़ राज0 हाल वनपाल वन नाका रीछवा रेंज बकानी जिला झालावाड़ राज0 के विरुद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध घटित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपिगणों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 एसीबी राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय;

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
प्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं आरोपीगण 1.श्री मुरली मनोहर, वनपाल, अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय वन अधिकारी, बकानी, वन मण्डल झालावाड़ एवं 2.श्री जगदीश चन्द, वन पाल, वन नाका रीछवा, रेंज बकानी, जिला झालावाड़ के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 73/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

 5.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 667-71 दिनांक 5.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

 5.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।